कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 174 /XXV–12(9)/2008 देहरादून : दिनांक 03 फरवरी, 2020

सेवा में,

श्री नानक चन्द लाहिया,(सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी,
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत),
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी–263139,

विषय– **मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, के आदेश के क्रम में अपील संख्या–A(D) 30190 /2019 के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नोटिस संख्या–11153/ उ0सू0आ0/अपील/ 2019–20 दिनांक 19–दिसम्बर–2019 द्वारा निर्धारित अपील के सुनवाई के दिनांक 23.1.2020 के क्रम में मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश संख्या–853/ उ0सू0आ0/2019 दिनांक 24.1.2020 में पारित आदेश के अनुपालन में आपके अनुरोध पत्र दिनांक 9.3.2019 के अन्तर्गत 05 विन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है–

विन्दु संख्या–1	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट संख्या–25/**XXXVi**(3)/ 2010/85(1)/2009 दिनांक 07 जनवरी 2010 की **प्रति संलग्न** कर प्रेषित की जा रही है।
विन्दु संख्या–2	विज्ञापन संख्या– 819 दिनांक 05 मार्च 2019 के विज्ञापन आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, **श्रीमती सौजन्या (आई0ए0एस0)** पदनाम– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड है।
विन्दु संख्या–3	इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या–2087 दिनांक 23 अप्रैल 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19–विज्ञापन मद में कुल हुए व्यय की धनराशि रू0 2,49,683.00 की सूचना उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु, विज्ञापन संख्या–819 दिनांक 5 मार्च 2019 के दो बार प्रकाशन पर रू0 8,918.78 की धनराशि व्यय हुई है। देयक की **प्रति संलग्न।**
विन्दु संख्या–4	विभागीय अपीलाधिकारी का नाम– **श्री मस्तू दास** पदनाम– सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी पता– विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 4–सुभाष रोड़, देहरादून।
विन्दु संख्या–5	विभागीय वेबसाई ceo.uk.gov.in है।

अतः मा0 उत्तराखण्ड लोक सूचना आयोग के उक्त आदेश के क्रम में उक्तानुसार सूचनायें सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं,
लोक सूचना अधिकारी।

क्रम संख्या—14

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009—11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था करने का—

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान—मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2–संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :–

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश;

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग

3–संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Official Language Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 14 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 07, 2010).

No. 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND OFFICIAL LANGUAGE ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 14 OF 2010)

To provide for adoption of Hindi as the languages to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttarakhand.

WHEREAS, Aticle 345 and Clause (3) of Article 348 of the Constitution provided inter alia that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:

AN

Act

Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Official Language Act, 2009. Short Title, extent and Commencement

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall be the language used in respect of the following:-- Hindi to be Official Language of the State

(a) (1) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution;

(2) orders, notifications. rules regulations and by elaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and

(b) all or any of the Official Purposes of the State;

Provided that the State Government may by general of special order in this behalf permit the use of International form of Indian numerals for any Official purpose of the State.

3. In the interest of Sanskrit speaking people, Sanskrit language shall be used as second Official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time. Use of Sanskrit

4. (1) The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951 is hereby repealed in relation to Uttarakhand. Repeal and sharing

(2) Notwithstanding such repeal specified in sub-section (1), anything done or any action taken under this Act shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 5 विधायी / 32--2010--100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

9411395097
मोबाइल

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

To,

CHIEF ELECTION OFFICER
CHIEF ELECTORAL OFFICER 4 SUBHASH
NORTH BLOCK
DEHRADUN
UTTRAKHAND

Dated: 05.04.2019

SUBJECT: ADVERTISEMENT BILLS

Dear Sir,

Please find enclosed bills against your Release Order (820/xxv-08/2019) dated 05.03.2019.Which has been published in following editions as mentioned on your release order.

Detail of bills as per:-

Bill No	Order	Booking Un	Date	RO Number	RO Date	Amount
1803314841	4857585	HHDDN960	06.03.2019	820/xxv-08/2019	05.03.2019	4,738.10
1803314842	4857585	HHHDW980	06.03.2019	820/xxv-08/2019	05.03.2019	4,180.68
						8,918.78

Thanks & Regards

Ajay Goel
Mob No . +919690004130

8

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Regd. Office : Budh Marg, Patna - 800001, Bihar
Phone : +91 612 2223434 Fax : +91 612 2221545
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com Website : www.hmvl.in
CIN : L21090BR1918PLC000013
GSTIN : 10AAGCS0920E1Z4

71

Tax Invoice - Sale of advertising space in print media (HSN 998363)

Invoice No. : 1803314842	**Date :** 06.03.2019	**Bill To :** CHIEF ELECTION OFFICER
Booking Id : 0004857585		Chief Electoral Officer, 4 Subhash North Block DEHRADUN-248001
Advertiser : CHIEF ELECTION OFFICER - (409494)		
Key No. :		
Agency Type : Govt. Parties - Credit		**State Name :** Uttarakhand **State Code :** 05 AG Code:409494
Place of Supply : Uttarakhand		**GSTIN :**
R.O. NO & Date : 820/xxv-08/2019-05.03.2019		

Insertion	Insertion Date	Editions	Size Width	Size Height	Ad Area	Colour/ B & W	Position	Rate (in Rs.)	Premium (%)/INR	Rebate, If any (%)/INR	Amount (in Rs.)
020/001	06.03.19	HH Haldwani CBU	8.00	14.00	112.00 SCM	BW	11	35.55	0.00	0.00	3,981.60

Passed for ₹ 4181/- ₹ four thousand one hundred & Eighty one only. For C.E.O.

Passed for ₹ 4,180/- ₹ four thousand one hundred & Eighty only. For C.E.O.

Category : Tender Due Date 06.03.2019

Receipt Voucher No. :

Box Charges		INR	0.00
Gross Amount		INR	3981.60
Trade Discount		INR	0.00
Taxable Value		INR	3981.60
CGST Rate	0.00%	INR	0.00
SGST / UTGST Rate	0.00%	INR	0.00
IGST Rate	5.00%	INR	199.08
CESS Rate		INR	
Total Amount (Incl. Tax)		INR	4180.68
Amount Paid Adjust. (if any)		INR	
Tax Subject to reverse charge			

Amount (In Words) :

(INR) FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY AND SIXTY-EIGHT PAISE ONLY

E. & O.E.

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Authorised Signatory

PAN No. : AAGCS0920E TAN No. : PTNS00749A

The Payment should be made only either by Cheque / Demand Drafts in favour of **HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.** or through NEFT, RTGS as per bank details given below.

Bank Details
Bank Name : HDFC BANK LTD.
IFSC Code : HDFC0000003
Account No. : 00030330015031

THANK YOU FOR ADVERTISING WITH US

...NDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

...Office : Budh Marg, Patna - 800001, Bihar
...one : +91 612 2223434 Fax : +91 612 2221545
...il : corporatedept@hindustantimes.com Website : www.hmvl.in
...L21090BR1918PLC000013
...N : 10AAGCS0920E1Z4

10

Tax Invoice - Sale of advertising space in print media (HSN 998363)

...ice No. :	1803328843	Date :	10.04.2019
...oking Id :	0004874888		
...dvertiser :	CHIEF ELECTION OFFICER - (409494)		
...ey No. :			
Agency Type :	Govt. Parties - Credit		
Place of Supply :	Uttarakhand		
R.O. NO & Date :	7633-07.04.2019		

Bill To : CHIEF ELECTION OFFICER
Chief Electoral Officer, 4 Subhash
North Block
DEHRADUN-248001
State Name : Uttarakhand **State Code :** 05
GSTIN :
AG.Code:40949...

Insertion	Insertion Date	Editions	Size Width	Size Height	Ad Area	Colour/ B & W	Position	Rate (in Rs.)	Premium (%)/INR	Rebate, If any (%)/INR	Amount (in Rs.)
010/001	10.04.19	HH Dehradun-All	25.00	16.00	400.00 SCM	4C	6	40.29	40.00	0.00	22,562

Passed for ₹ 23,691/-
₹ twenty three thousand six hundred & ninety one only.
For C.E.O.

Passed for ₹ 23,690/-
₹ twenty three thousand six hundred & ninety only.
For C.E.O.

Category : Product Display Due Date 10.04.2019

Receipt Voucher No. :

Box Charges			INR	0.00
Gross Amount			INR	22562.40
Trade Discount			INR	0.00
Taxable Value			INR	22562.40
CGST	Rate	0.00%	INR	0.00
SGST / UTGST	Rate	0.00%	INR	0.00
IGST	Rate	5.00%	INR	1128.12
CESS	Rate		INR	
Total Amount (Incl. Tax)			INR	23690.52
Amount Paid Adjust. (if any)			INR	
Tax Subject to reverse charge				

Amount (In Words) :

E. & O.E.

(INR) TWENTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY AND FIFTY-TWO PAISE ONLY

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Authorised Signatory

PAN No. : AAGCS0920E TAN No. : PTNS00749A

The Payment should be made only either by Cheque / Demand Drafts in favour of **HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.** or through NEFT, RTGS as per bank details given below.

Bank Details
Bank Name : HDFC BANK LTD.
IFSC Code : HDFC0000003
Account No. : 00030330015031

THANK YOU FOR ADVERTISING WITH US

ADVERTISEMENT CUTTING/VOUCHER TEAR SHEET ENCLOSED
Query related to this Invoice (if any) : 0135-6134400 (24)
Please read overleaf for terms & conditions.

(पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा)

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 853 /उ.सू.आ./2019 दिनांक: 24.01.20.

सेवा में,

1. **लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।**

2. **विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।**

महोदय/महोदया,

अपील संख्याः A(D)- 30190/2019 **श्री नानक चन्द्र लोहिया** बनाम **लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा पारित दिनांक 23/01/2020 के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया,

(शालिनी नेगी)
उप सचिव

प्रतिलिपिः

अपीलकर्ता : **श्री नानक चन्द्र लोहिया, सचिव, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।**

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया,

(शालिनी नेगी)
उप सचिव

आवश्यक सूचनाः–

"समस्त लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा।"

ARO II (G)

B S Rawat
27-1-2020
S.O./P.I.O

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(D)- 30190/2019**

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का.अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री नानक चन्द्र लोहिया, सचिव, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

प्रत्युत्तरदाताः 1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

आज इस अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी उपस्थित हैं।

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निस्तारण आदेश से क्षुब्ध होने पर यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी ने अनुरोध पत्र दिनांक 09/03/2019 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी / चीफ इलैक्शन ऑफीसर, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, प्रथम तल विश्वकर्मा भवन, सुभाष रोड, देहरादून से उत्तराखण्ड सरकार गजट सूचना–25/XXXVI(3)2010/85(1)2009 दिनांक 07/01/2010 (राजभाषा विधेयक) तथा लोक प्राधिकारी द्वारा

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

बिन्दु संख्या 04 : सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

बिन्दु संख्या 05 : कार्यालय में धारित नहीं है।

5. लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को त्रुटिपूर्ण, अधूरी व भ्रामक बताते हुए प्रथम अपील दायर की गयी जिसका निस्तारण सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास ने दिनांक 06/06/2019 को करते हुए यह पाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वही सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं जो कार्यालय में धारित हैं।

6. प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलार्थी का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1 के सापेक्ष यह कहा गया है कि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि सरकारी सूचनाओं, आदेशों के संकलन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की है और सूचना प्राप्त करने का आवेदक को अधिकार है। बिन्दु संख्या 2 के सापेक्ष अपीलार्थी का कहना है कि विज्ञापन आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद व प्रशासकीय प्रधान का नाम पद की सूचना नहीं दी गयी है। केवल विज्ञापन पत्र संलग्न किया गया है। बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष उनका कहना है कि सूचना प्राप्त है किन्तु हिन्दी भाषी जनता के कोष का धन अविवेकपूर्ण रूप से व्यय किया गया जो जांच को आकर्षित करता है। बिन्दु संख्या 4 के संबंध में उनका कहना है कि सूचना प्राप्त है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने बिन्दुवार चाही गयी सूचना पर विचार नहीं किया अन्यथा द्वितीय अपील में आना नहीं पड़ता। बिन्दु संख्या 5 के सापेक्ष अपीलार्थी का कहना है कि धारा 4 के संबंध में सूचनाओं के स्वैच्छिक प्रकटन के संबंध में प्रतिपक्षी का उत्तर त्रुटिपूर्ण और बिना सूचना के अधिकार अधिनियम का ज्ञान लिए है। उनका कहना है कि सूचना के अधिकार में बिना मांगे दी जाने वाली सूचनाओं से कार्य चालन में पारदर्शिता बढ़ना मुख्य उद्देश्य है। जन साधारण को इन 17 अनुच्छेद की सूचनाओं को प्राप्त करने के

का विवरण अंकित है। फलतः यह सूचना स्वतः प्रकट हो चुकी है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना अभिलेखों में धारित नहीं है ऐसा अपीलार्थी को बताया जा चुका है।

8. अपीलार्थी का यह भी कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिन सूचनाओं को स्वतः प्रकट कर देना चाहिए उसके बारे में उन्हें स्पष्ट सूचना नहीं दी गयी है। धारा 4 की सूचना यदि कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हो तो वेबसाइट का पता अपीलार्थी को प्रदान किया जाये अन्यथा जो सूचनायें स्वतः प्रकट की जा चुकी हैं उसके बारे में अपीलार्थी को अवगत कराया जाये।

9. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपर्युक्तानुसार इसका निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक : 23/01/2020

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP

पी.डी.एफ. प्रति अ... की गई
दिनांक 23 JAN 2020